न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– डॉ. अशोक कुमार RAS

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 170/2018

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आमेर, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. नाथूलाल पुत्र श्री भौरीलाल, जाति–माली, निवासी–आमेर, जिला–जयपुर।
2. लल्लूलाल पुत्र श्री जवाहरलाल, जाति–माली, निवासी–आमेर, जिला–जयपुर।
3. ओमप्रकाश पुत्र श्री जवाहरलाल, जाति–माली, निवासी–आमेर, जिला–जयपुर।
4. रमेश पुत्र श्री जवाहरलाल, जाति–माली, निवासी–आमेर, जिला–जयपुर।
5. भगवान पुत्र श्री जवाहरलाल, जाति–माली, निवासी–आमेर, जिला–जयपुर।
6. सालगराम पुत्र श्री जवाहरलाल, जाति–माली, निवासी–आमेर, जिला–जयपुर।
7. महेशचन्द्र पुत्र श्री प्रेमस्वरूप, जाति–महाजन, निवासी–आमेर, जिला–जयपुर।
8. हनुमान सहाय पुत्र श्री माधोराम, जाति–माली, निवासी–आमेर, जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 32 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956)

उपस्थितिः–

1. पेरोकार सरकार उपस्थित।
2. श्री संजय शर्मा, अभिभाषक, अप्रार्थी सं0 1 की ओर से।
3. श्री श्याम लाल अग्रवाल, अभिभाषक, अप्रार्थी सं0 2 लगा0 6 की ओर से।
4. श्री ज्ञानेश्वर बाढदार, अभिभाषक, अप्रार्थी सं0 7 की ओर से।
5. श्री के.के. जोशी, अभिभाषक, अप्रार्थी सं0 8 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 26.02.2020**

तहसीलदार, आमेर की ओर से एक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आमेर की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2008–23 के ख0नं0 940, 941, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 951, 952, 953, 954, 959, 960, 961, 962, 963, 965, 966, 966/6595, 967, 968, 969, 970 कुल किता 24 कुल रकबा 19 बीघा 7 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री गोविन्द देव जी के नाम से दर्ज रिकार्ड थी, जिसके वर्तमान मिसल बन्दोबस्त सम्वत् ख0नं0 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1062, 1063, 1064, 1065, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081 कुल किता 24 कुल रकबा 4.90 हे0 भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम से अंकित है। तत्कालीन राजस्व कर्मियों द्वारा भूमि मंदिर का नाम विलोप्ति करते हुए सीधे ही कृषक रामबक्श पुत्र पन्ना जाति–माली के नाम अंकित कर दी गई। कृषक रामबक्श पुत्र पन्ना की मृत्यु होने पर जरिये नामान्तरकरण सं0 195 दिनांक 30.06.1978 के भौरीलाल व जुवारा पुत्रान् रामबक्श माली के नाम दर्ज हुई। नामान्तरकरण सं0 79 दिनांक 04.07.2002 व नामान्तरकरण सं0 109 दिनांक 27.03.2003 के द्वारा लल्लूलाल, ओमप्रकाश, रमेश, भगवान, सालगराम पुत्रान् जवाहर व नाथूलाल पुत्र भौरीलाल माली के नाम दर्ज हुए। भू–प्रबंध के दौरान हनुमान सहाय पुत्र माधोराम के नाम दर्ज हुआ। नाथूलाल पुत्र भौरीलाल माली ने भूमि का विक्रय कर दिया तथा जरिये नामान्तरकरण सं0 152 दिनांक 30.05.2003 के द्वारा क्रेता महेश चन्द्र गुप्ता पुत्र प्रेमस्वरूप गुप्ता के नाम दर्ज हुई। वादग्रस्त भूमि वास्तव में मंदिर माफी की भूमि थी। माफी मंदिर स्थिति का कानून शास्वत अवयस्क है। अवयस्क के हितों का हस्तानन्तरण इस प्रकार नही किया जा सकता। अवयस्क के हितों की रक्षा करना

Scanned with CamScanner

आवश्यक है। अतः अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोप्ति किया जावें तथा माफी मंदिर का नाम मिसल बन्दोबस्त के अनुसार दर्ज किया जावें।

तहसीलदार, आमेर से प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कराया जा कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से विभिन्न अधिवक्तागणों द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थीगण मे से 2 लगा0 6 व 7 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया गया। शेष अप्रार्थीगण को बार–बार अवसर दिये जाने के बाद भी उनके द्वारा कोई जवाब पेश नही किया गया।

अप्रार्थीगण सं0 2 लगा0 6 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माफी मंदिर का नाम जागीर रिज्मशन एक्ट के प्रावधानों के तहत हटाया गया था, जबकि जमीन कभी ठाकुरजी के खुदकाश्त की नही रही है। जमीन पर जागीरदार से पूर्व रामबक्श पुत्र पन्ना माली बतौर काश्तकार काबिज था व जागीर खत्म होने के बाद खातेदारी अधिकार काबिज काश्तकार को मिले थे। प्रार्थीगण के पूर्वजों को जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम के तहत खातेदारी दी गई है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

अप्रार्थी सं0 7 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भू–प्रबंध विभाग में सम्वत् 2008–23 में जागीरदार के कॉलम में माफी मंदिर गोविन्द देव जी दर्ज है, परन्तु कॉलम नं0 5 में कृषक के कॉलम में रामबक्श वल्द पन्ना साकिन देह मुद्दत 19 साल दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि कभी भी ठाकुर जी मंदिर गोविन्द देव जी की खुदकाश्त की नही रही है बल्कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव आने से पूर्व वादग्रस्त भूमि के खातेदार रामबक्श पुत्र पन्ना माली का नाम दर्ज रहा है। प्रार्थी द्वारा आराजी ख0नं0 1073 व ख0नं0 1052 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई है। राज्य सरकार ने भी विज्ञप्ति निकालकर यह स्पष्ट किया है कि जिन खातेदारों को काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व खातेदारी दी जा चुकी है उनकी खातेदारी विलोप्ति नही की जा सकती है। ऐसी स्थिति में जब किसी प्रकार से कोई अवैध इन्द्राजात राजस्व भू–अभिलखों में नही किये गये तब रेफरेन्स किये जाने का कोई औचित्य नही है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आधारहीन एवं अस्पष्ट होने के कारण निरस्त योग्य है।

बहस हेतु न्यायालय समय में बार–बार आवाज लगवाई गई। अप्रार्थी सं0 7 एवं पेरोकार सरकार उपस्थित शेष अप्रार्थीगणों की ओर से कोई उपस्थित नही।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। रेफरेन्स हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में वर्णित तथ्यों पर ही बहस केन्द्रीत करते हुए दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि तहसील आमेर के ग्राम आमेर की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2008–23 के अनुसार रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित कुल किता 24 कुल रकबा 19 बीघा 7 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री गोविन्द देव जी के नाम से दर्ज रिकार्ड थी, जो नये ख0नं0 के अनुसार अप्रार्थीगण के नाम से अंकित है। तत्कालीन राजस्व कर्मियों द्वारा भूमि मंदिर का नाम विलोप्ति करते हुए सीधे ही कृषक रामबक्श पुत्र पन्ना जाति–माली के नाम अंकित कर दी गई। कृषक रामबक्श पुत्र पन्ना की मृत्यु होने पर जरिये नामान्तरकरण सं0 195 दिनांक 30.06.1978 के भौरीलाल व ज्वारा पुत्रान् रामबक्श माली के नाम दर्ज हुई। नामान्तरकरण सं0 79 दिनांक 04.07.2002 व नामान्तरकरण सं0 109 दिनांक 27.03.2003 के द्वारा लल्लूलाल, ओमप्रकाश, रमेश, भगवान, सालगराम पुत्रान् ज़वाहर व नाथूलाल पुत्र भौरीलाल माली के नाम दर्ज हुए। भू–प्रबंध के दौरान हनुमान सहाय पुत्र माधोराम के नाम दर्ज हुआ। नाथूलाल पुत्र भौरीलाल माली ने भूमि का विक्रय कर दिया तथा जरिये नामान्तरकरण सं0 152 दिनांक 30.05.2003 के द्वारा क्रेता महेश चन्द्र गुप्ता पुत्र प्रेमस्वरूप गुप्ता के नाम दर्ज हुई। वादग्रस्त भूमि मूल रूप से माफी मंदिर की भूमि थी। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में विधि अनुरूप पेश किया गया है। अतः अप्रार्थीगणों का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोप्ति कराया जा कर माफी मंदिर का नाम मिसल बन्दोबस्त के अनुसार दर्ज करया जावें।

विद्वान् वकील अप्रार्थीगण सं0 7 ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि कस्बा आमेर में स्थित कुल किता 24 भूमि खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2008 लगा0 2023 में जागीरदार के कॉलम में माफी मंदिर गोविन्द देव जी दर्ज है, परन्तु कॉलम नं0 5 जो काश्त का कॉलम है उसमें रामबक्श पुत्र पन्ना जाति–माली साकिन देह

Scanned with CamScanner

मुद्दत 19 वर्ष दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि कभी भी ठाकुर गोविन्द देव जी की खुदकाश्त भूमि नही रही है बल्कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व से ही खातेदार रामबक्श पुत्र पन्ना मालिक दर्ज रहा है। सम्वत् 2008–23 में दर्ज कुल किता 24 रकबा 19 बीघा 7 बिस्वा भूमि के नये ख0नं0 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1062, 1063, 1064, 1065, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081 कुल किता 24 कुल रकबा 4.90 हे0 बने है जो रामबक्श पुत्र पन्ना माली की खातेदारी व उसके वारिस भौरी व जवाहर पुत्रान् रामबक्श में अन्तरित हुई और भौरी व जवाहर के फौत होने के बाद उनके वारिसान के नाम दर्ज की गई। ख0नं0 1073 रकबा 0.43 हे0 प्रार्थी द्वारा क्रय किये जाने पर नामान्तरकरण सं0 152 प्रार्थी के नाम तस्दीक किया जा चुका है। इसी प्रकार ख0नं0 1052 भी प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया गया है। शेष भूमि रामबक्श के वारिसान के नाम के खातेदारी में चली आ रही है।

वादग्रस्त भूमि कभी भी माफी मंदिर गोविन्द देव जी की खुदकाश्त में नही रही और ना ही जागीर का पुनर्ग्रहण होने के समय वादग्रस्त भूमि कभी माफी मंदिर श्री गोविन्द देव जी के नाम खातेदारी में अथवा खुदकाश्त के रूप में दर्ज रही। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स संधारण योग्य नही है क्योंकि माफी मंदिर श्री गोविन्द देव जी का नाम कभी भी खातेदार कृषक के रूप में दर्ज नही रहा और जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने के समय रामबक्श पुत्र पन्ना का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज था वही इन्द्राज आज दिनांक तक भी यथावत् दर्ज है। सिर्फ पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा किये गये हस्तान्तरणों के आधार पर अप्रार्थीगण खातेदार–काश्तकारों के नाम दर्ज किये गये है। तहसीलदार, आमेर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है। धारा 82 के अन्तर्गत कोई रेफरेन्स तभी किया जा सकता है जब राजस्व भू–अभिलेखों के पूर्व इन्द्राजात में किसी प्रकार का कोई अवैध परिवर्तन किया गया हो। नये इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु कोई रेफरेन्स प्रस्तुत नही किया जा सकता।

राजस्थान (भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण) अधिनियम, 1952 के प्रथम परिशिष्ट के आईटम नं0 15 के अनुसार "माफी" जागीर की ही किस्म है और उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक प्रकार की जागीरों का पुनर्ग्रहण होकर जागीर समाप्त कर दी गई और यदि जागीरदार उक्त भूमि को खुदकाश्त करता था तो उसे धारा 10 के अनुसार खातेदारी अधिकार दे दिये गये और यदि कृषक काश्त कर रहा था तो उसे धारा 9 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये परन्तु जागीर तो प्रत्येक अवस्था में समाप्त हो गई इसलिए माफी कायम रहने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। जागीरदार भूमि अधिकारी के अधिकार समाप्त हो जाते है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2000 R.R.D. 14, 189 में यह व्यवस्था दी है कि जहां जागीर पुनर्ग्रहण के समय तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय कृषक के कॉलम में काश्तकारों का नाम दर्ज हो और खुदकाश्त नही हो, वहां काश्तकार को ही खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की फुल बैंच ने हाल ही में तारा बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के निर्णय 2015 (2) R.R.T. 868 में यह ही व्यवस्था दी है और इस केस के तथ्य प्रस्तुत केस के तथ्यों से हूबहू मिलान करते है। मिसल बन्दोबस्त में माफी मंदिर का नाम भोक्ता/उपभोक्ता के रूप में दर्ज था, जबकि सम्पूर्ण माफियों का पुनर्ग्रहण हो चुका है और माफीदार को कभी भी वादग्रस्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हुये है। खातेदार कृषक के रूप में माफी मंदिर का नाम अंकित किये जाने के आदेश रेफरेन्स प्रक्रिया में पारित नही किये जा सकते। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.11.2011 तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने दिनांक 06.01.2010 को जारी परिपत्रों में यह व्यवस्था दी है कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादीमदार आदि के नाम से दर्ज थी उनमें उन खातेदारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरित करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त होगें। ऐसी भूमियों को पुनः मंदिर के नाम दर्ज कराया जाना विधि सम्मत नही है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आधारहीन एवं विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किया जावें। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निम्न निर्णयों की प्रति अवलोकनार्थ प्रेषित की :–

Scanned with CamScanner

क्र.स.	न्यायालय का नाम	वाद सं0	उनवान	निर्णय दिनांक
1.	मा0 उच्च न्यायालय, जोधपुर	185/2001	तारा व अन्य/सरकार	15.07.2015
2.	राजस्व मण्डल राज0 अजमेर	एल.आर. /9326/ 2008/जयपुर	सरकार/कालू व अन्य	07.07.2014

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्णयों एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये परिपत्रों का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स में यह तथ्य अंकित किया गया है कि सम्वत् 2008–23 की जमाबंदी तहरीर करते हुए राजस्व कर्मियों द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के नाम विलोप्ति कर वादग्रस्त भूमि को रामबक्श पुत्र पन्ना के नाम अंकित कर दी गई। मंदिर माफी को इस वादग्रस्त भूमि में खुदकाश्तकार का अंकन नही होना पाया गया है। प्रकरण के निर्णय से पूर्व राजस्थान भू–पुर्नग्रहण एवं जागीर अधिग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 एवं 10 पर विचार करना आवश्यक है।

Rajasthan Land Reforms & Resumption of Jagir Act, 1952 Section 9 & 10

Sec.9 Khatedari Rights in Jagir Lands –

Every Tenant in the Jagir land who at the commencement of this Act is enterd the revenue records as the Khatedar, Pattedar, Khadimdar or under any other description implying that the tenant has heritable and full transferable right in the tenancy shall continue to have such rights and shall be called a Khatedar tenant in respect of such land.

Sec.10 Khtedari Right in the Khudkast land-

As From the date of resumption of any Jagir land and khudkast land of a jagir shall be deemed to be held by the jagirdar as a tenant and shall be assesses at the village rate.

इस अधिनियम की धारा 9 के अनुसार माफी की सारी आराजियो को रिज्यूम की जा कर राजस्थान सरकार में निहित हो जायेगी एवं धारा 10 में खुदकाश्त की भूमि पर खुदकाश्त खातेदार को खातेदारी अधिकार प्रदान हो जायेगें। जो नाम बतौर खुदकाश्तकार उस समय दर्ज है वह अंकन बरकरार रहेगा, उन्हे खातेदार–काश्तकार माना जायेगा। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी मंदिर माफी की खुदकाश्त भूमि दर्ज नही है वह रामबक्श पुत्र पन्ना के नाम अंकित है, जिसे राजस्थान खातेदारी अधिकार अधिनियम, 1955 की धारा 15 के अनुसार स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने के वक्त अभिलेख में मूर्ति मंदिर के नाम विभिन्न रूपों में अभिलिखत भूमियों में काबिज काश्तकार के खातेदारी अधिकार अर्जित होने अथवा नही होने के बाबत् समय–समय पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों दिनांक 13.12.1991, 24.05.2007, 06.01.2010, 25.11.2011, 12.09.2018 जारी किये गये है।

जिसमें राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6/2007/14 जयपुर दिनांक 24.05.2007 को जारी कर यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसी भूमि जो मंदिर माफी की थी के संबंध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार या अन्य किसी के नाम से दर्ज थे वे निरन्तर खातेदार बने रहेगे। जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज थी उसमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी भूमियों को पुनः मंदिरों के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत् नही है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों के नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। प्रकरण में विद्वान् अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निर्णयों का अवलोकन किया जिसमें भी माननीय उच्च न्यायालय में वृहद पीठ द्वारा प्रकरण 2015 (2) आर.आर.टी.868 तारा बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में विभिन्न प्रश्नों के उत्तर अंकित करते हुए स्पष्ट किया है कि :–

1. The question no. (i) is decided in favour of the State and against the Shebait/Pujari claiming the land to be saved by the Jagirs As of 1952. The land held in Jagir by Hindu

Scanned with CamScanner

idol (deity) as Dolidar or Mafidar cultivated by a person other then the Shebait/Pujari of the deity personally or by hired labour or servants engaged by its Shebait/Pujari as a tenant of the deity, shall vest in the State, after the Jagirs Act of 1952. The Hindu idol (diety), even if it is treated to be a perpetual minor, could not continue to hold such land. Such land cannot be treated to be in its personal cultivation. A tenant such land cultivating the land acquired the rights of khatedar of the State. Such land under the tenancy of a person other than Shebait/Pujari of Hindu Idol (deity) became Khatedari land of such tenant. The name of Hindu idol (deity) from such land had to be expunged form the revenue records with Shebait/Pujari having no right to claim the land as Khatedar. Consequently, they had no right to transfer such lands, and all such transfers have to be treated as null and void, in contravention of the Jagirs Act 1952, and the land under such transfers to be resumed by the State.

2. The Hindu Idol (Deity) in the lands held by them in the name of its Shebait/Pujari on the date of resumption of such jagir under the provision of the Jagir Act of 1952 did not have any rights accept in khudkast land cultivated by shebait/pujari either by themselves or by hired labour or servent engaged by them for the benefit of the expense of the tample including seva puja. All those lands let out by them to the tenants or sub tenants were resumed by the Jagirs Act of 1952 and that the Hindu Idol (deity) lost all the rights in such Jagir Land.
3. The Jagir land/muafi held by the Shebait/Pujari of Hindu Idol (deity) in their name after the date of resumption of the Jagir (Muafi) by the Jagirs Act of 1952 will not give them any right nor they could alienate the land. The alienation made by them of such land which was resumed/acquired by the State Government and for which claims were made and settled before the Jagir Comissioner, would be null and void and will have no effect.

उक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 तथा राजस्थान भू–सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 के अनुसार देवता की भूमि के संबंध में प्रस्तुत रेफरेन्सेज का निर्णय कर विभिन्न प्रश्नों का जवाब अंकित करते हुए मंदिर माफी की जमीन के संबंध में विस्तृत निर्णय पारित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि जागीर/मंदिर माफी की भूमियों पर तत्कालीन जागीरदार द्वारा मंदिर माफी की भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा भूमि काश्त कराने पर भूमि राज्य हित में निहीत होगी। परन्तु जागीर पुर्नग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि पर यदि शेबत/पुजारी अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा काश्त की जा रही थी तो तत्कालीन कृषक का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोप्ति करने का अधिकार नही होगा। और यदि जागीर भूमियों पर किसी कृषक का नाम विलोप्ति कर दिया गया है तो राजस्व रिकार्ड में ऐसी की गई सभी प्रवष्टियां आकृत व शून्य (Null & Void) मानी जायेगी। जागीर पुर्नग्रहण के दिन शेबत/पुजारी द्वारा धारित जागीर भूमि पर देवता के कोई अधिकार नही होगे।

विवादग्रस्त भूमि पूर्व में मंदिर श्री गोविन्द देव जी की माफी में दर्ज थी और माफी का नियमानुसार पुर्नग्रहण हो गया और पुर्नगृहित होने के पश्चात भूमि अधिकारी के अधिकार राज्य सरकार में व्याप्त हो गये। इसके आधार पर भूमि अधिकारी के कॉलम में राज्य सरकार का नाम अंकित किया गया। मूर्ति श्री गोविन्द देव जी महाराज शाश्वत अव्यस्क की परिभाषा में आते हैं, परन्तु मूर्ति श्री गोविन्द देव जी कभी भी विवादग्रस्त भूमि के खातेदार कृषक नहीं रहे हैं एवं उनकी खातेदारी की भूमि किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं की गई है और श्री गोविन्द देव जी महाराज की माफी का पुर्नग्रहण होने की वजह से उनके नाम के स्थान पर राजस्थान सरकार को भूमि अधिकारी अंकित किया गया है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि रेफरेन्स की कार्यवाही मात्र तब तक ही की जा सकती है जब तक किसी राजस्व न्यायालय या अधिकारी के द्वारा किसी प्रकरण या किसी कार्यवाही में कोई अवैध निर्णय पारित किया गया हो। विचाराधीन प्रकरण में तहसीलदार ने इस विषय पर जांच किये बिना ही कि किस अधीनस्थ अधिकारी ने किस प्रकरण में ऐसा क्या आदेश पारित किया जिसे अवैध होना मानते हुए उसे निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती हो। इस प्रकार रेफरेन्स किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया वह विधि में विहित प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।

Scanned with CamScanner

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में भी दायर रेफरेन्स एल.आर./9326/2008/जयपुर में पारित निर्णय सरकार बनाम कालूराम व अन्य में राजस्व मण्डल के पत्र दिनांक 06.01.2011 को संदर्भित करते हुए भी यह अंकित किया है कि :–

मंदिर माफी की भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकार के संबंध में परिपत्र दिनांक 24.05.2007 द्वारा अंतिम तौर पर यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि के नाम दर्ज थी, उन खातेदारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरित अधिकार प्राप्त होगें ऐसी भूमियों के पुनः मंदिर के नाम दर्ज कराया जाना विधि सम्मत् नही है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।

हमनें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 व राजस्थान (भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण) अधिनियम, 1952 की धारा 9 व 10 तथा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24.05.2007 तथा परिपत्र दिनांक 25.11.11 तथा अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्णयों का गहनता से अवलोकन किया।

राज्य सरकार व राजस्व मण्डल राज0 ने समय–समय पर परिपत्र जारी कर यह निर्देश दिये हैं कि जहां जागीर पुर्नग्रहण के समय कोई भूमि माफी मंदिर के नाम खुदकाश्त के रूप में दर्ज ना हो और कृषक का नाम कृषक के खाते में दर्ज हो वहां रेफरेन्स किये जाने का कोई आधार नहीं है।

उक्त न्यायिक निर्णयों संदर्भो में तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 राजस्थान जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 व 10 राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प 2(4) राज/4/90/37 जयपुर दिनांक 13.12.1991, प.3(2)राज–6/2007/14 जयपुर दिनांक 24.05.2007 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी पत्रांक राम/प–63/न्याय/स्था/05/636–689 दिनांक 06.01.2010, प.3(2)राज–6/2007/19 जयपुर दिनांक 25.11.2011 एवं प.3(2)राज–6/2007/पार्ट/05 जयपुर दिनांक 12.09.2018 में जारी किये गये निर्देशों के क्रम में हमारा यह सुविचारित मत है कि हस्तगत प्रकरण में सम्वत् 2008–23 की खतौनी बन्दोबस्त में कॉलम नं0 3 में नाम थोक व पट्टी में माफी मंदिर श्री गोविन्द देव जी मजकूर अंकित था तथा कॉलम नं0 5 में नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में रामबक्श वल्द पन्ना कौम माली साकिन देह मु0 19 साल दर्ज था। कॉलम नं0 4 रिक्त था अर्थात् उक्त जमाबंदी में कॉलम नं0 4 में खुदकाश्त अंकित नहीं था। जिसके कारण खातेदार रामबक्श पुत्र पन्ना को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों एवं राजस्व मण्डल द्वारा जारी निर्देश एवं माननीय उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर की वृहद पीठ द्वारा तारा बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं अन्य न्यायिक निर्णयों एवं राजस्थान (भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण) अधिनियम, 1952 की धारा 9 के अनुसरण में खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है।

अतः उक्त विवेचनानुसार हमारा यह सुविचारित अभिमत है कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों एवं माननीय उच्च न्यायालय की वृहद पीठ के तारा बनाम सरकार में पारित न्यायिक निर्णय के अनुशीलन में अप्रार्थीगण सं0 1 लगा0 8 को विधि अनुरूप नियमानुसार खातेदारी अधिकार दिया जाना विधि सम्मत् है।

अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स खारिज किया जाकर पुनः इस आशय के साथ पुनः प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रस्तुत रेफरेन्स राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15, राजस्थान जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 व 10 तथा राजस्व विभाग राजस्थान सरकार व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा उक्तानुसार समय–समय पर जारी परिपत्रों एवं माननीय उच्च न्यायालय की वृहद पीठ के तारा बनाम सरकार में पारित न्यायिक निर्णय एवं राजस्व मण्डल राजस्थान पारित विभिन्न निर्णयों के अनुशीलन में जारी किये गये निर्देशों/निर्णयों की पालना में प्रकरण यदि विचारण योग्य हो तो अप्रार्थीगणों को पुनः सुनकर तीन माह की अवधि में विधि अनुरूप पुनः इस न्यायालय को प्रेषित करें।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर

Scanned with CamScanner